

(आठ 20 नियम 6 / 100वीं)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डवी जिला भोलवाडा राजस्थान
वर्द्धतास श्री श्री. एल. जर्गा (आ१०१०११०)

अन्याय प्रकरण

श्री लक्ष्मण ७० श्री बाबू गील निवासी - सुरास, तहसील - माण्डवी

वर्दी

बनाम


- श्री बाबू ५५ गोकुल गील निवासी - सुरास, तहसील - माण्डवी
- श्री काबू ५० श्री बाबू गील निवासी - सुरास, तहसील - माण्डवी
- श्री कैलाश ५० श्री बाबू गील निवासी - सुरास, तहसील - माण्डवी प्रा. सं. राजस्थान
- श्री रामू ०१ श्री बाबू गील निवासी - सुरास, तहसील - माण्डवी
- श्री मधू १० श्री बाबू गील वा. वा. जरिपे प्रा. सं. राजस्थान श्री मदी रामू ५० बाबू गील निवासी - सुरास, तहसील - माण्डवी
- श्री सीता ०१ श्री बाबू गील वा. वा. जरिपे प्रा. सं. राजस्थान श्री मदी रामू ५० बाबू गील निवासी - सुरास, तहसील - माण्डवी
- राजस्थान राज्य जस्टिस तहसीलदार माण्डवी, तहसील - माण्डवी
- उपजीयक, पंजीयन कार्यालय माण्डवी, तहसील - माण्डवी

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा १४४, १४४ मुकदमा नं० / वर्ष ६/१२ निर्णय दिनांक १-६-१४

यह मुकदमा अज अदालत बाद इनफिसल कतारें स्वरूप अदालत व डिजरी बकायल वादी मिनजानिय मुददर्द व शरफुद्दुमा बालीवाल १५० काभिय मुदाकला पश डोकर हुपम दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि ग्राम सुरास, पवार हल्का सुरास, तहसील माण्डवी मे स्थित आराजी नं. १३ रकवा १५ बिस्वा, आ. नं. ३० रकवा १५ बिस्वा, आ. नं. ३१ रकवा १५ बिस्वा, आ. नं. २११२ रकवा ०१ बीघा, आ. नं. २२५१ रकवा ०५ बिस्वा, कुल कित ०५ रकवा ०३ बीघा १० बिस्वा मे वादी एंव प्रतिवादी से २ लगायत ६ को स्वातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व वाद लखन के दौरान हुए विक्रय दिनांक ०५-०४-२०१२ को आडेसालमड ब्याडेस से शून्य व वेअसर करते हुए वर्तमान स्वातेदार के माम पर हुए अवैध अंकन को हटाते हुए वादी एंव प्रतिवादीगण सरख्या २ से लगायत ६ का नाम राजस्व रेफर्ड मे अमल परामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आज तारीख १-६-१४ को मेरे हस्ताक्षर से न्यायालय की मोहर से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डवी जिला भोलवाडा